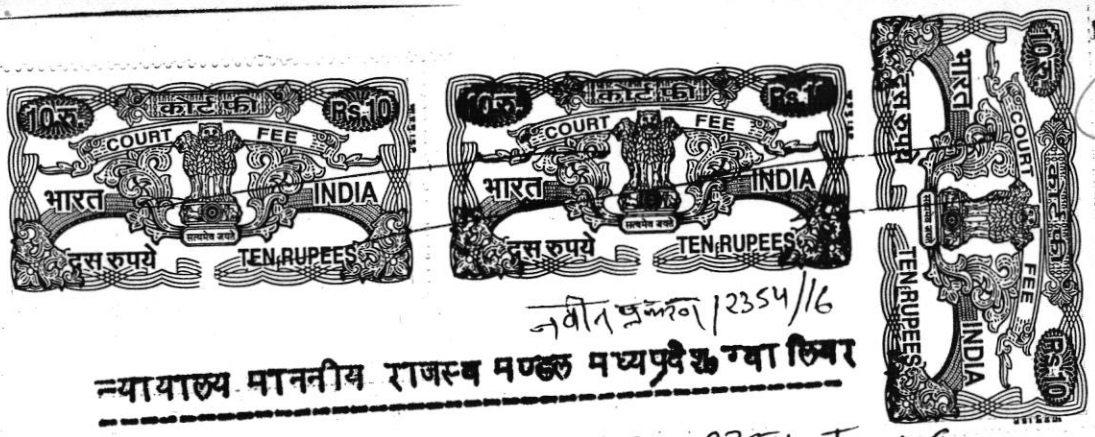

प्रतिलि (81)

नवीन प्रकरण/2354/16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी-2354-I-16

श्याम सुन्दर पुत्र हरविलास,
निवासी ग्राम गोरमी, तहसील गोरमी,
जिला भिण्ड-म०प्र० ।

——— प्रार्थी

दिनांक 19.7.16 को श्री आर.एस. कुशवाह अभि० द्वारा प्रस्तुत
19.7.16
SO

विरुद्ध

कस्तूरीबाई पत्नी बहादुर सिंह,
निवासिन ग्राम गोरमी, तहसील गोरमी,
जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) ।

——— प्रतिप्रार्थिया

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय, भिण्ड दिनांकी १८-६-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ६।१५-१६ निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय को निगरानी प्रकरण श्रवण करने का कानूनन अधिकार न था । उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी आवेदन-पत्र प्रचलन योग्य न होने से उन्हें प्रकरण में गुण दोषों पर आदेश पारित किये जाने के अधिकार नहीं होने से (पारित आदेश) शून्य एवं निष्प्रभावी होने से निरस्ती योग्य था ।

४- यह कि, कानूनन अपर कलेक्टर महोदय को निगरानी मैमो

(वी)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2354-एक/16 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-19	आवेदक अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	